www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 06.04.2017

सीबीआई ने तत्कालीन चेयरमैन, हुडा ; तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हुडा ; तत्कालीन प्रशासक, हुडा; तत्कालीन वित्त आयुक्त, शहरी एवं स्थानीय योजना विभाग, हरियाणा एवं अन्यों के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने हरियाणा सरकार के निवेदन पर मामला पुन: दर्ज किया एवं तत्कालीन चेयरमैन, हुडा ; तत्कालीन मुख्य प्रशासक, हुडा ; तत्कालीन प्रशासक, हुडा ; तत्कालीन वित्त आयुक्त, शहरी एवं स्थानीय योजना विभाग, हरियाणा ; दिल्ली की एक जर्नल कम्पनी एवं अन्यों के विरूद्ध पुलिस स्टेशन, राज्य सर्तकता ब्यूरो, पंचकूला (हरियाणा) में दिनांक 05.05.2016 में पूर्व में दर्ज प्राथमिक रिर्पोट संख्या-03 की जॉंच को अपने हाथों में लिया।।

ऐसा आगे आरोप था कि 3500 वर्ग मीटर माप का सेक्टर-6, पंचकूला स्थित संस्थागत प्लाट संख्या सी-17 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के द्वारा दिनांक 24.08.1982 को दिल्ली की जर्नल कम्पनी को आवंटित कर दिया गया एवं दिनांक 30.08.1982 को कब्जा दे दिया गया। आवंटन के नियम और शर्तों के अनुसार, कब्जा प्राप्त करने की तिथि से छ: महीने के भीतर प्लाट पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना तथा निर्माण कार्य दो वर्षो के भीतर पूरा करना कम्पनी के लिए अनिवार्य था। दिए गए समय के भीतर कम्पनी निर्माण करने में असफल रही। इसलिए, आवंटन रद्द कर दिया गया। आवंटन के रद्द होने के विरूद्ध दायर की गई याचिका ख़ारिज कर दी गई।

ऐसा आगे आरोप है कि तत्कालीन चेयरमैन, हुडा ने नियमों के उल्लंघन एवं अपनी आधिकारिक स्थित के दुरूपयोग के द्वारा नई दिल्ली की जर्नल कम्पनी को मूल दरों के साथ साथ उस पर लगे आज तक के ब्याज पर दिनांक 28.08.2005 को प्लाट पुन: आवंटित कर दिया एवं इसके अतिरिक्त छ: महीने के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने और उक्त कार्य को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का आदेश दे दिया, इससे हरियाणा सरकार को 62 लाख रू. (लगभग) की कथित हानि हुई।

आगे की जॉंच जारी है।

****